



Linking Laws

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908

Level — Hard

1.

Ans: C

Explanation: By the both 27th and 54th reports, the Law commission of India had recommended that the express provision on counter-claim should be inserted in the CPC.

- a. Order VIII Rule 6A CPC - matter of Right.
- b. Order VI Rule 17 CPC - the discretion of the Court.
- c. Order VIII Rule 9 CPC - the discretion of the Court.

1.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - 27वीं और 54वीं दोनों रिपोर्टों के द्वारा, भारत के विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि सीपीसी में प्रति-दावा पर एक्सप्रेस प्रावधान डाला जाना चाहिए।

3.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: - एक प्रति-दावा स्थापित किया जा सकता है या तीन तरीकों में से किसी एक द्वारा अनुरोध किया जा सकता है, अर्थात -

- 1. आदेश VIII नियम 6ए सीपीसी - अधिकार की बात।
- 2. आदेश VI नियम 17 सीपीसी - न्यायालय का विवेक।
- 3. आदेश VIII नियम 9 सीपीसी - न्यायालय का विवेक।

2.

Ans: A

Explanation: By the amendment of 1976 (Act 104 of 1976) [w.e.f. 1-2-1977] L/w Order VIII Rule 6A-6G CPC was inserted in code.

4.

Ans: C

Explanation: L/w Section 113 CPC, a reference may made - in a suit in which the decree is not subject to a second appeal to the High Court, or in the execution of such a decree, or also if it is a question of law or usage having the force of law, on which the court trying the suit or appeal entertains reasonable doubts.

2.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: - 1976 (1976 का अधिनियम 104) [w.e.f. 1-2-1977] के संशोधन द्वारा, L/w आदेश VIII नियम 6A-6G सीपीसी को कोड में शामिल किया गया था।

3.

Ans: D

Explanation: A counter-claim may be set up or pleaded by either of the three modes i.e., by -

4. उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 113 सीपीसी, एक संदर्भ दिया जा सकता है -

www.linkinglaws.com





Linking Laws

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



1. एक मुकदमे में जिसमें डिक्री उच्च न्यायालय में दूसरी अपील के अधीन नहीं है, या इस तरह के निष्पादन में
2. डिक्री, या यह भी कि अगर यह कानून के बल वाले कानून या उपयोग का सवाल है, जिस पर
3. वाद या अपील का विचारण करने वाला न्यायालय युक्तियुक्त संदेहों को स्वीकार करता है।

भारतीय अभ्यास की कुंजी (12 वां संस्करण), पृष्ठ-174]

7.

Ans: D

Explanation: Review Powers can be exercised by the court only on application of the aggrieved party and the order granting review is appealable.

5.

Ans: D

Explanation: An appeal may be filed in either of three cases. [Chapter - 12, Mulla - The key to Indian Practice (12th edition), page-168]

7.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: - समीक्षा शक्तियों का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल पीड़ित पक्ष के आवेदन पर ही किया जा सकता है और समीक्षा प्रदान करने वाला आदेश अपीलीय है।

5.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: - तीन मामलों में से किसी एक में अपील दायर की जा सकती है। [अध्याय - 12, मुल्ला - भारतीय अभ्यास की कुंजी (12वां संस्करण), पृष्ठ 168]

8.

Ans: C

Explanation: L/w Section 104 (1) (ffa) CPC, an appeal shall lie from an order under section 91 or section 92 refusing leave to institute a suit of the nature referred to in section 91 or section 92, as the case may be and not from allowing to leave to institute a suit.

6.

Ans: D

Explanation: L/w Section-115 CPC, An order is passed in Revisional jurisdiction is not Appealable. [Chapter - 12 [Mulla-The key to Indian Practice (12th edition), page-174]

8.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 104 (1) (ffa) सीपीसी, एक आदेश से अपील की जाएगी धारा 91 सीपीसी या धारा 92 सीपीसी के तहत आदेश का मुकदमा दायर करने के लिए छुट्टी से इनकार करते हुए धारा 91 सीपीसी या धारा 92 सीपीसी, जैसा भी मामला

6.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा-115 सीपीसी, पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में एक आदेश पारित किया गया है, अपील योग्य नहीं है। [अध्याय - 12 [मुल्ला-

www.linkinglaws.com





Linking Laws

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



हो, में निर्दिष्ट प्रकृति और आदेश का मुकदमा चलाने के लिए छुट्टी की अनुमति से इनकार करते हैं।

9.

Ans: C

Explanation: L/w section 96 (2) CPC, an appeal may lie from an original decree passed ex-parte.

9.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 96 (2) सीपीसी, एक पक्षीय पारित मूल डिक्री से अपील की जा सकती है।

10.

Ans: C

Explanation: L/w Section 94 CPC - supplemental proceedings - five ways to prevent the ends of justice from being defeated.

10.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 94 सीपीसी - पूरक कार्यवाही - पांच तरीके - न्याय के अंत को पराजित होने से रोकने के लिए।

11.

Ans: A

Explanation: L/w Chapter - 2 [Mulla- The key to Indian Practice (12th edition), page-7]

11.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: - L/w अध्याय - 2 [मुल्ला- भारतीय अभ्यास की कुंजी (12 वां संस्करण), पृष्ठ -7]

12.

Ans: A

Explanation: L/w Section 28 of Contract Act in the judgment of ABC Laminart vs. A P Agencies, AIR 1989 SC 1239

12.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: - एबीसी लैमिनार्ट बनाम एपी एजेंसियों, एआईआर 1989 एससी 1239 के फैसले में संविदा अधिनियम की धारा 28

13.

Ans: D

Explanation: L/w order II Rule 4 CPC - In a suit for the recovery of immovable property - a plaintiff is not entitled, without the leave of the court, to join any claim except either of three cases.

13.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: - L/w आदेश II नियम 4 सीपीसी - अचल संपत्ति की वसूली के लिए एक मुकदमे में - एक वादी अदालत की अनुमति के बिना, तीन मामलों में से किसी एक को छोड़कर किसी भी दावे में शामिल होने का हकदार नहीं है।

14.

Ans: A

Explanation: L/w Section 2(2) CPC, 'Decree' - Conclusively determines the rights of the parties.





Linking Laws

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



14.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: -L/w धारा 2(2) सीपीसी, 'डिक्री' - पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है।

15.

Ans: C

Explanation: L/w Section 2(2) CPC, 'Mesne Profits' – actually received or might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profit and shall not include the profits due to improvements made by the person in wrongful possession. [The object of awarding a decree for mesne profit is to compensate the person who has been kept out of the possession and deprived of enjoyment of his property].

15.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 2(2) सीपीसी, 'मेस्ने प्रॉफिट्स' - वास्तव में प्राप्त किया गया है या सामान्य परिश्रम के साथ ऐसे लाभ पर ब्याज के साथ प्राप्त हो सकता है और होगा गलत तरीके से व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण होने वाले लाभ को शामिल न करें स्वामित्व। [मेस्ने प्रॉफिट के लिए डिक्री देने का उद्देश्य व्यक्ति को मुआवजा देना है जिसे कब्जे से बाहर रखा गया है और उसके भोग से वंचित किया गया है संपत्ति]।

16.

Ans: B

Explanation: L/w Section 3 CPC - The District Court is subordinate to the High Court and every Civil Court of a grade inferior to that of a District Court, and every Court of Small Causes is subordinate to the High Court and District Court.

16.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: -L/w धारा 3 सीपीसी - जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से निम्न श्रेणी का प्रत्येक सिविल न्यायालय, और प्रत्येक लघु वाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है।

17.

Ans: A

Explanation: L/w Section 92 CPC in the judgment of Mrinalini Padhi vs. UOI 2018 SCC online 667

17.

स्पष्टीकरण: - मृणालिनी पाधी बनाम यूओआई 2018 एससीसी ऑनलाइन 667 के फैसले में L/w धारा 92 सीपीसी

18.

Ans: B

Explanation: L/w Section 10 CPC - Both should be directly and substantially in issue and not directly or substantially in issue.





Linking Laws

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



18.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 10 सीपीसी - दोनों सीधे और पर्याप्त रूप से जारी होने चाहिए और सीधे या पर्याप्त रूप से जारी नहीं होने चाहिए।

19.

Ans: A

Explanation: L/w S 11 CPC in which Eight explanations are given.

19.

स्पष्टीकरण: -L/w एस 11 सीपीसी जिसमें आठ स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

20.

Ans: A

Explanation: L/w Section 13 CPC which lays Six grounds and if the foreign judgment is hit by either of one or more grounds then judgment will not be the conclusive. The ground given in section 13 CPC are not exhaustive.

20.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: -L/w धारा 13 सीपीसी जो छह आधार देता है और यदि विदेशी निर्णय एक या अधिक आधारों में से किसी एक से प्रभावित होता है तो निर्णय निर्णायक नहीं होगा। धारा 13 सीपीसी में दिए गए आधार संपूर्ण नहीं हैं।

21.

Ans: B

Explanation: L/w Section 14 CPC the Court shall presume but the same is rebuttable presumption.

21.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 14 सीपीसी न्यायालय मान लेगा लेकिन वही खंडन योग्य अनुमान है।

22.

Ans: D

Explanation: L/w proviso to sec.16-Where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience, suit may be instituted - either in the Court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate, or in the Court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain. [Two Options are available with the plaintiff.]

22.

उत्तर: डी

स्पष्टीकरण: - L/w proviso to sec.16- जहां मांगी गई राहत पूरी तरह से उसकी व्यक्तिगत आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, मुकदमा दायर किया जा सकता है - या तो अदालत में जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर क्षेत्राधिकार संपत्ति स्थित है, या न्यायालय में जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर अधिकार क्षेत्र प्रतिवादी वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है, या व्यापार करता है, या

www.linkinglaws.com





Linking Laws

"Link the Life with Law"

All Judiciary Exam



व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है।
[वादी के पास दो विकल्प उपलब्ध हैं।]

whether or not it was instituted prior thereto.

23.

Ans: C

Explanation: L/w Section 19 CPC [At the option of the plaintiff].

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: एल/डब्ल्यू धारा 21, स्पष्टीकरण I सीपीसी - अभिव्यक्ति "पूर्व सूट" एक ऐसे सूट को दर्शाती है जिसे प्रश्न में सूट से पहले तय किया गया है या नहीं, इससे पहले इसे स्थापित किया गया था या नहीं।

23.

उत्तर: सी

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 19 सीपीसी [वादी के विकल्प पर]

24.

Ans: B

Explanation: Territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction and jurisdiction of Executing Court.

24.

उत्तर: बी

स्पष्टीकरण:- प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार और निष्पादन न्यायालय का क्षेत्राधिकार।

25.

उत्तर: ए

स्पष्टीकरण: - L/w धारा 21, स्पष्टीकरण I सीपीसी - अभिव्यक्ति "पूर्व सूट" एक ऐसे सूट को दर्शाती है जिसे प्रश्न में सूट से पहले तय किया गया है चाहे वह था या नहीं उससे पहले स्थापित किया गया था।

25.

Ans: A

Explanation: L/w Section 21, Explanation I CPC - The expression "former suit" shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question

www.linkinglaws.com

For More Details Scan QR Code



[Linking_laws](https://www.youtube.com/linkinglaws)

t.me/linkinglaws

support@linkinglaws.com

<https://www.linkinglaws.co>

For further info please Call

: 7737746465

Tansukh Paliwal
(Linking Sir)